संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास1,शिवाजी नगर भोपाल

कार्यालय हेतु मासिक(पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर प्रायवेट वाहन (टेक्सी कोट) से उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म क्रमांक.................दिनांक...................

निविदा फार्म एवं शर्ते वर्ष 2017–18

मूल्य रु.250.00 (रुपये दो सौ पचास मात्र)

विवरण तालिका
निविदा की शर्ते एवं प्रकिया

भाग–1–कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

स.क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
01	कार्यात्मक आवश्यकताएं	01
02	तकनीकी आवश्यकताएं	01

भाग 2–सामान्य निर्देश एवं वित्तीय विनिर्देश

स.क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
03	निविदा प्रक्रिया	02
	3.1 निविदा प्रपत्र का मूल्य	02
	3.2 निविदा दस्तावेज	02
	3.3 निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्थान एवं समय	02
	3.4 निविदा प्रक्रिया का निरसन	02
	3.5 विलंब से प्राप्त निविदाएं	02
	3.6 निविदाओं का खोला जाना	02
	3.7 निविदाओ का मूल्यांकन	03
	3.8 निविदा के साथ संलग्न करने हेतु दस्तावेज	03
04	निविदाकारों की अर्हताएं	03
	4.1 अर्हताएं	03
	4.2 तकनीकी प्रस्ताव	03
	4.3 वित्तीय प्रस्ताव	03
	4.4 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा	03
	4.5 निविदा का प्रस्तुतीकरण	03
	4.6 निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि	04
	4.7 निविदा मे संशोधन	04
	4.8 प्रस्ताव की भाषा	04
	4.9 दरें	04
	4.10 अपात्रताएं	04
	4.11 संशोधन एवं निविदा वापस लेना	04
	4.12 शर्तो की ग्राह्यता की संतुष्टि	04
05	अनुबंध का निष्पादन	04
	5.1 निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)	04
	5.2 निविदा की प्रतिभूति (Earnestmoney deposit)	04
	5.3 अनुबंध मे हस्ताक्षर	05
	5.4 सेवाएं एवं वारंटी	05
	5.5 पेनाल्टी	05
	5.6 अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन	06
06	भुगतान	06
07	विवाद का निराकरण	06

प्रपत्रों का विवरण		
स.क्र.	विषय	प्रपत्र
1	सूचना पत्र	प्रपत्र– अ–1
2	घोषणा पत्र	प्रपत्र– अ–2
3	सुरक्षा निधि	प्रपत्र– अ–3
4	निविदा की शर्ते तथा नियम से सहमति	प्रपत्र– अ–4
5	निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी	प्रपत्र– अ–5
6	अनुबंध का प्रारुप	प्रपत्र– अ–6
7	वित्तीय प्रस्ताव प्राइस बिड	प्रपत्र– ब

संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,.01,शिवाजी नगर भोपाल

क्रमांक / वाहन / प्रा. / गैरापु / 2017, भोपाल, दिनांक

निविदा की शर्ते

भाग–1,कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

01. कार्यात्मक आवश्यकताएं:–

संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल हेतु आवश्यकता अनुसार किराए के 02 वाहन मासिक / दैनिक आधार पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 एक वर्ष के लिये निविदाएँ सील बंद लिफाफे में आमत्रित की जाती है। आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढ़ोत्री की जा सकती हैं। निविदा में अधिकृत ट्रेवल्स एजेंसी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। वाहन की दर 1000 कि.मी.(पेट्रोल / डीजल एवं चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर होगी। इसके अलावा पृथक से दैनिक किराया / मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने हेतु भी दर संलग्न प्रपत्र में दी जावे।

02 तकनीकी आवश्यकताएं:–

2.1 वाहन 01वर्ष से अधिक पुराने स्वीकार नही किये जावेगे। निविदाकार व्दारा प्रदाय किये जाने वाले वाहन नये तथा अच्छी स्थिति मे होना चाहिये।

2.2 वाहन चालक की डयूटी समय–सीमा कार्यालयीन आवश्यकतानुसार होगी।

2.3 वाहन चालक का मासिक वेतन ट्रेवल्स एजेन्सी व्दारा भुगतान किया जावेगा।

2.4 वाहन की मरम्मत का समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेन्सी व्दारा वहन किया जावेगा।

2.5 समय–समय पर वाहनों पर होने वाली सर्विसिग की जिम्मेदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। सर्विसिंग अवधि के 2–3 दिन पूर्व सर्विसिंग कराने हेतु संबंधित अधिकारी को अवगत कराना आवश्यक होगा व सर्विसिंग अवधि में एजेन्सी व्दारा अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।

2.6 वाहन की ईधन व्यवस्था संबंधित एजेन्सी की होगी।

2.7 ब्रेक डाउन / वाहन मरम्मत / वाहन चालक की अनुपस्थिति में उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रेवल्स एजेन्सी की होगी। वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने की स्थिति में विभाग व्दारा मासिक देयक से राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

2.8 वाहन के रोड टेक्स,टोल टेक्स,इन्स्योरेंस एवं अन्य आवश्यक खर्चो के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

2.9 आवश्यकतानुसार वाहन चालक को वाहन समय अवधि से अधिक एवं जिले के बाहर भी चलाना पड़ सकता है।

2.10 वाहन के साथ लॉग बुक संधारित करना अनिवार्य है।

2.11 ट्रेवल्स एजेन्सी / वाहन का आर0टी0ओ0 कार्यालय मे टेक्सी कोटें में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

भाग 2–सामान्य निर्देश एवं वित्तीय विनिर्देश

3. निविदा प्रकियाः–

3.1 निविदा प्रपत्र का मूल्य–निविदा फार्म शर्ते एवं प्रपत्र की प्रति अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय की लेखा शाखा में संशोधित दिनांक 10.03.2017 के दोपहर 3.00 बजे तक रु.250 (रु.दो सौ पचास) मात्र नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म क्रय शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।

3.2 निविदा दस्तावेज–निविदाकार को निविदा दो लिफाफों ''ए'' एवं ''बी'' में डालनी होगी।

अ. लिफाफा ''ए'' में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रहेगेः–

1. प्रपत्र–अ–1 सूचना पत्र (लिफाफा–ए–में रखा जाए)
2. प्रपत्र–अ–2 घोषणा पत्र (लिफाफा–ए–में रखा जाए)
3. प्रपत्र–अ–3 सुरक्षा निधि (लिफाफा–ए–में रखा जाए)
4. प्रपत्र–अ–4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र(लिफाफा–ए में रखा जाए)
5. प्रपत्र–अ–5 निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सूचना पत्र
6. प्रपत्र–अ–6 अनुबंध का प्रारुप
7. वाहनो का विवरण

ब. लिफाफा–बी–में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रहेंगें।

1. प्रपत्र ''ब'' वित्तीय निविदा प्राइज बिड (लिफाफा–बी में रखा जाये)

3.3 **निविदा प्रस्तुत करने हेतु स्थान एवं समय–** निविदा कार्यालयीन कार्य दिवसो मे संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,01 शिवाजी नगर भोपाल में संशोधित दिनांक.10.03.2017 को प्रातः10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। तत्दपश्चात् इसी दिवस को समय 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास, 01शिवाजी नगर भोपाल में खोली जायेगी। समस्त निविदाएं कार्यालय में रखे सीलबंद बॉक्स में ही डाली जायेगी अन्य किसी स्थान अथवा व्यक्ति को दी गई निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

3.4 **निविदा प्रकिया का निरसन–** संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल को बिना कोई कारण बताये निविदा प्रकिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रो की राशि वापस नही की जावेगी।

3.5 **विलंब से प्राप्त निविदाए–**निविदा की अंतिम संशोधित दिनांक,10.03.2017 को दोपहर 12.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी,डाक से विलंब से प्राप्त निविदाओं की जिम्मेदारी संचालनालय ,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल की नही होगी।

3.6 **निविदाओं का खोला जाना–**नियत दिनांक तक प्राप्त निविदायें संशोधित दिनांक,10.03.2017 को अपरान्हः3.30 बजे संचालनालय ,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। यदि निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। इसमे बिना सील बंद लिफाफे में प्राप्त एवं कटी फटी निविदाएं बिना विचार के ही निरस्त कर दी जायेगी। विधिवत प्राप्त निविदाओ का लिफाफा ''ए'' उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोला जायेगा। निविदाएं खुलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगे।

3.7 निविदाओं का मूल्यांकन–निविदाकारों से प्राप्त लिफाफा ''ए'' में संलग्न दस्तावेजो का संचालनालय ,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल मे गठित समिति व्दारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारो के प्रस्ताव निरस्त करने का अधिकार होगा तथा तकनीकी रुप से वैद्य निविदाकारो का लिफाफा ''बी'' खोला जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल व्दारा निविदाकारों को उपस्थित रहने हेतु दुरभाष पर सूचना दी जायेगी। अतःनिविदाकार को चाहिए कि संपर्क हेतु कम से कम दो फोन नम्बर (लेड लाइन/मो0नम्बर) निविदा मे अंकित करें एवं निविदा प्रक्रिया अवधि में फोन चालू रखे।

3.8 निविदा संलग्न करने हेतु दस्तावेजो का विवरण–निविदा प्रपत्र जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जो स्वयं सत्यापित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक तथा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
2. ट्रेवल्स एजेन्सी/वाहन का आर.टी.ओ.में टेक्सी कोटे में रजिस्ट्रर्ड होने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. वाहन चालक के वैद्य लायसेंस की छाया प्रति।
4. सेवा कर प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
5. आयकर के स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर की प्रति)
6. वाहनों का स्वामित्व संबंधी प्रमाण–पत्र/अनुबंध/पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

04 निविदाकारो की अर्हताएं–

4.1 निविदाकार व्दारा प्रस्तुत निविदा के वैद्य होने के लिये निविदा के साथ निम्न दस्तावेजो का संलग्न होना अनिवार्य हैः–

1. विगत तीन वर्षो में सफलतापूर्वक किये गये कार्यो (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की संबंधित शासकीय विभाग,निगम या संस्था के प्रमाण–पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियॉं।
2. निविदाकर्ता को विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगी।
3. निविदाकर्ता का यदि इस कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी से कोई संबंध हो तो उसका विवरण दें।

4.2 तकनीकी प्रस्ताव–

1. वाहन चालको का मानसिक एवं शारीरिक स्तर समान्य स्तर का होना चाहिए।
2. वाहन चालको का मेडिकल फिटनेश प्रमाण पत्र,चरित्र प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र वांछितहोगा।
3. वाहन चालको का पुलिस सत्यापन निविदाकर्ता को स्वयं करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकर्ता को निविदा आवेदन करते समय वाहन चालको की सूची देना अनिवार्य होगा एवं निविदाकार को अपनी तरफ से वाहन चालको को निर्धारित की गई स्वच्छ वर्दी पहनना होगी इसके लिये कार्यालय के व्दारा कोई भी राशि पृथक से देय नहीं होगी।

4.3 वित्तीय प्रस्ताव–निविदाकर्ता व्दारा निविदा में घोषित राशि में निविदा कार्यो के संपादन करने वाले सभी कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर,लेबर,रजिस्ट्रेशन शुल्क,सर्विस टेक्स एवं आदि टैक्सेज इत्यादि सम्मिलित होगें। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय व्दारा देय नहीं होगा।

4.4 हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा–निविदादाता को निविदा की शर्तो के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रो के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4.5 निविदा का प्रस्तुतीकरण–निविदा प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में सील बंद बाक्स रखा होगा जिसमें निविदा का विषय स्पष्ट अंकित होगा। निविदा के दोनों लिफाफो के उपर स्पष्ट रुप से किराये के वाहन हेतु निविदा एवं लिफाफा ''**ए**'' अथवा ''**बी**'' लिखा होना चाहिये। उपरोक्त दोनों लिफाफे उस बॉक्स के अंदर डालना होगा। असुविधा की स्थिति मे लेखा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

4.6 **निविदा के प्रस्ताव के वैद्यता की अवधि**–अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। एक वर्ष पश्चात् यदि सफलतापूर्वक कार्य अनुरुप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनों पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रकिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम छः(6) माह के लिये बढ़ाई जा सकती है।

4.7 **निविदा मे संशोधन**–एक बार निविदा कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा एवं निविदा फार्म की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई निविदा प्राप्त नही की जा सकेगी।

4.8 **प्रस्ताव की भाषा**–प्रस्ताव की भाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होना चाहिए। प्रस्ताव सुस्पष्ट एवं आसानी से ग्राह्य होना चाहिये। प्रस्ताव में कांट–छांट नहीं होना चाहिए।तकनीकी प्रस्ताव में प्रत्येक कांट–छांट पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना चाहिए। वित्तिय प्रस्ताव मे किसी भी प्रकार की कांट–छांट मान्य नहीं होगी।

4.9 **दरें**–दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।

4.10 **अपात्रताएं**–निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतःअपात्र माना जायेगा।

4.11 **संशोधन एवं निविदा वापस लेना** –निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। निविदा वापस लेने हेतु निविदा खोलने की दिनांक को निविदाकार संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल को लिखित आवेदन देकर निविदा प्रक्रिया से अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में निविदाकार के दोनो लिफाफे मूलतःवापस कर दिये जायेगें।

4.12 **शर्तो के ग्राह्ता की संतुष्टि**– जिस निविदा कर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसके संबंध मे यह भी माना जायेगा की उसमे उक्त सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ ली एवं समझ ली है। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार्य हैं तथा उन्ही शर्तो के अंतर्गत उसने निविदा हेतु निविदा प्रस्तुत की है।

05 अनुबंध का निष्पादन–

5.1 **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)**– संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि रु.30,000/–(रु.तीस हजार) मात्र होगी। निष्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक के डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैंकर्स चैक से जमा करना होगा। उक्त राशि अनुबंध समाप्ति दिनांक तक रहेगी।

5.3 **निविदा की प्रतिभूति (Earnestmoney deposit)**–अनुबंधकर्ता को निविदा के समय प्रतिभूति राशि रु.15000/–(रु.पन्द्रह हजार) मात्र संचालक,गैस राहत एंव पुनर्वास,भोपाल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट,मियादी जमा रसीद,बैकर्स चैक अथवा बैंक गारंटी के रुप मे जमा करनी होगा। निविदा की प्रतिभूति,निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैतालीस दिन की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक हैं।

असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूतियों को निविदा की अंतिम बैधता तिथि की समाप्ति के बाद यथाशीध्र और संविदा प्रदान किये जाने के बाद अधिकतम 30 दिन के अंदर लौटाई जायेगी।

5.2 **अनुबंध में हस्ताक्षर**—जिस निविदाकर्ता का निविदा विभागीय समिति व्दारा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर रुपये,250/—के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अंदर करना होगा। अनुबंध शर्त पर दोनो पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा। निविदाकर्ता के व्दारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

5.4 **सेंवाएं एवं वारंटी**—कार्य स्थल पर निविदाकर्ता तथा उसके वाहन चालक शराब अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेंगें तथा उनका व्यवहार अधिकारी एवं कर्मचारीयों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी,जो आर्थिक शास्ति संबंधित कर्मचारी को हटाने विषयक हो सकेगी।

5.4—1 सामान्यतःआवश्यकता होने के 12 घंटे पूर्व वाहन के प्रदाय हेतु रिक्वीजीशन निविदाकार को भेजा जावेगा,जिसका पालन निविदाकार को करना होगा। उपलब्ध कराई जाने वाली वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5.4—2 यदि निविदाकार अनुबंध अवधि में समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तथा संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल व्दारा बाजार से वाहन प्राप्त किया जाता है तो संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल को इस प्रकार होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार से की जा सकेगी। निविदाकार के साथ संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल के अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगा। यदि अनुबंध की अवधि में निविदा का कार्य उत्कृष्ट रहा तो अनुबंध की अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।

5.4—3 वाहन चालक निविदाकार का व्यक्ति होगा जिसका किसी भी प्रकार का व्यय संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल व्दारा वहन नही किया जावेगा। वाहन चालक किसी ऐसे नशे का अदि नही होना चाहिये जिसे वाहन चालक के लिये किसी प्रकार से प्रतिबंधित किया गया हो। वाहन चालक का व्यवहार विनम्र तथा शालीन होना चाहिए। चालक के पास वैद्य लायसेंस मूल रुप से रखा जाना अनिवार्य होगा।

5.4—4 प्रदाय किये वाहन के संपूर्ण अभिलेख हमेशा वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा ताकि आर.टी.ओ.निरीक्षण/पुलिस निरीक्षण में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

5.4—5 प्रवास की दशा मे टोल टेक्स का भुगतान निविदाकार करेंगा,जिसकी प्रतिपूर्ति प्रमाण(रसीद) प्रस्तुत करने पर विभाग व्दारा की जा सकेगी।

5.4—6 वाहन प्रदान करते समय ईधन आयल फुलटैंक कर भेजा जाना अनिवार्य होगा।

5.4—7 वाहन के साथ पंजीयन बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज मूल रुप से होना अनिवार्य होगा। जिन्हे सक्षम अधिकारी व्दारा मॉगे जाने पर प्रस्तुत करने की जबाबदारी वाहन के साथ गये चालक की होगी। चालक व्दारा किया गया कोई व्यवहार निविदाकार के व्दारा किया गया मान्य होगा। यदि डयूटी के समय वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका संपूर्ण दायित्व निविदाकार तथा वाहन चालक पर होगा। संचालनालय इसके लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

5.4—8 डयूटी के समय वाहन में किसी प्रकार की खराबी उत्पन्न होने पर निविदाकार को तत्काल अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।

5.4—9 वाहन व्दारा सौपी गयी एवं संपादित की गई डयूटी का रिकार्ड वाहन चालक को डयूटी के दौरान अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

5.5 **पेनॉल्टी–** यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन सहित उपस्थित नही होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है,जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी व्दारा की जाती है तो उस मॉह के देयक से नियमानुसार राशि निविदाकार के देयक से काट ली जायेगी।

5.6 **अनुबंध की शर्तो का उल्लघन–** निविदाकर्ता के वाहन चालको का व्यवहार संतोषप्रद न होने पर कर्मचारियों व्दारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्घन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण मे अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल को होगा तथा धरोहर राशि की पूरी अथवा आंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।

06 भुगतान

6.1 अनुबंधकर्ता व्दारा मॉह की समाप्ति के उपरान्त आगामी मॉह की 05 तारीख तक किराये पर लिये गये वाहन की संख्या के मान से देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय व्दारा परीक्षण उपरान्त इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।

07 विवाद का निराकारण–

किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचार की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल के पास सर्वदा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियों उद्भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

संचालक,
गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल

प्रपत्र–अ–1

//सूचना पत्र//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

प्रति,
संचालक,
गैस राहत एवं पुनर्वास,
01,शिवाजी नगर,भोपाल

विषयः–संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल कार्यालय हेतु मासिक (पूर्णकालिक) /दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रायवेट वाहन (आर.टी.ओ. कार्यालय मे पंजीकृत)टेक्सी कोटे की ठेके पर लेने बाबत्।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र..में प्रकाशन के व्दारा ज्ञात हुआ है कि संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल के कार्यालय हेतु मासिक (पूर्णकालिक) /दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है,इस हेतु मेरे व्दारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैंः–

1. ट्रेवल एजेंसी/वाहन का टेक्सी कोटे मे आर.टी.ओ. मे रजिस्टर्ड होने बाबत् प्रमाण पत्र की प्रति।
2. आयकर के स्थायी लेखा संख्या(पेन नम्बर) की प्रति।
3. सेवा कर प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण की प्रति।
4. आर.टी.ओ.में एजेंसी का पंजीयन।
5. नगर निगम से जारी गुमाश्ता।
6. ई.एम.डी.की राशि रु................/–एफ.डी./डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र...................... ......दिनांक..................

दिनांक.....................
स्थान.......................

नाम/हस्ताक्षर

फर्म का नाम.......................

प्रपत्र–अ–2

/ /घोषणा–पत्र/ /
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम...
भारत का/के नागरिक हूँ/है।(आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षकर्ता निविदाकर्ता के लिये प्रयुक्त होगा)

2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/है।

3. मुझे/हमें मासिक/दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यो के लिये मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग व्दारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र.शासन के किसी भी विभाग व्दारा बहिष्कृत किया गया हो, के ना तो अभिकर्ता हूं/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।

5. मेरे/हमारे व्दारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्ये की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो भी नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

6. मेरे/हमारे व्दारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नही की गई है।

7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करुँगा/करेंगें।

दिनांक.....................
स्थान.......................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–..................................
पूरा पताः–...........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–3

//सुरक्षा निधि//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

निविदा की प्रतिभूति **(Earnestmoney deposit)**–राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में रखने हेतु।

कार्यालय का नाम–ःसंचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल हेतु मासिक/दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराना।

ठेका हेतु जमा अर्नेस्टमनी **(Earnestmoney)** से संबंधि एस.बी.आई./राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर. का विवरणः–

कमांक	एफ.डी.आर.का क.एवं दिनांक	एस.बी.आई./ राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	बैधता अवधि

कार्य का नाम..
निविदा कमांक.......................दिनांक...

दिनांक.....................
स्थान.......................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–..................................
पूरा पताः–............................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–4

//निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

मै...पुत्र..
वास्ते फर्म..आपके कार्यालय व्दारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता/चाहती हूॅ। मेरे व्दारा निविदा की शर्तो हेतु निर्धारित पत्र क................/प्रा.वा./2017–18 ....भोपाल दिनांक................ ....में निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क.1 से तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूॅ एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूॅ।

दिनांक.....................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान.......................

नामः–..................................
पूरा पताः–...........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–5

//निविदाकार व्दारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी//
(लिफाफा–ए–मे रखा जाय)

निविदाकार का नामः–

कमांक	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1	अर्नेस्ट मनी रु.15,000/–का संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास भोपाल के नाम से डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद,बैकर्स चैक जो भोपाल शहर में स्थित शाखा पर देय हो संलग्न करें।	
2	ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन को आर.टी.ओ.में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
3	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन.नं.) की प्रति	
4	सेवा कर प्रदाता के रुप में पंजीयन होने का प्रमाण–पत्र की प्रति	
5	नगर निगम व्दारा जारी गुमाश्ता लायसेंस की प्रति	

दिनांक....................
स्थान......................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–.................................
पूरा पताः–..........................
....
फोन एवं मो.नं.

प्रपत्र–अ–6

//अनुबंध का प्रारुप//

संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल के कार्यालय हेतु दो (2) वाहन मासिक (पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल जो इस अनुबंध के प्रथम पक्ष होंगें तथा.. .जो इस अनुबंध में द्वितीय पक्ष होंगे के मध्य आज दिनांक........................को अंनुबंध सम्पादित किया जा रहा है। निविदा पत्र में दी गई समस्त शर्ते इस अनुबंध का भाग होगी। यह अनुबंध मासिक(पूर्णकालिक)/ दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त निविदा संबंधि कार्यवाही दिनांक.................में स्वीकृत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता... के मध्य हैं।

अनुबंध के नियम एवं शर्तेः–

1. निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग–1 एवं भाग–2 में वर्णित कंडिका क्र.1 से 7 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अनुबंधकर्ता एजेन्सी को पालन करना अनिवार्य होगा।

2. मासिक (पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की जान–माल की सुरक्षा संबंधित ऐजेंसी की रहेगी।

3. टेण्डर स्वीकृत आदेश से एक वर्ष के लिए यह व्यवस्था होगी,यदि फर्म मासिक (पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने मे असफल होती है या समय पूर्व ठेका छोड़ देते है तो ऐसी स्थिति में उनके व्दारा जमा सिक्युरिटी डिपाजिट रु. 30,000/–(रु.तीस हजार) मात्र जप्त कर लिया जावेगा एवं ठेका निरस्त कर निविदा प्रकिया में द्वितीय न्यूनतम दर वाली निविदादाता को दिया जावेगा।

4. मासिक (पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर वाहनों की संख्या कम अथवा अधिक करने का अधिकार संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल के पास सुरक्षित होगा।

5. वाहन चालन कार्य में तैनात कर्मचारी कानूनी तौर पर अच्छें चरित्र वाले होने चाहिए इसकी जिम्मेदारी फर्म की होगी एवं चालको को स्वच्छ वर्दी पहनना अनिवार्य होगी इसके लिए कार्यालय व्दारा कोई भी राशि पृथक से देय नही होगी।

6. फर्म को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन चालकों के नाम पता एवं पासपोर्ट साइज के फोटो एवं वैध ड्रायविंग लायसेन्स की छाया प्रति इत्यादि की जानकारी कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगी।

7. कार्य स्थल पर ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी शराब अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नही करेगे तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सोम्य एवं नम्रता पूर्वक होना चाहिए शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जो आर्थिक शास्ति संबंधित वाहन चालक एवं वाहन को हटाने विषयक हो सकेगी ऐसी स्थिति मे दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

8. संबंधित फर्म/वाहन क्र. को आर.टी.ओ.में टेक्सी कोटे मे पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।

9. यह निविदा एक वर्ष के अनुबंध के लिये मान्य की जावेगी एवं कार्य संतोषजनक होने पर दोनो पक्षों की सहमति से संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल व्दारा (अधिकतम 06 मॉह) निविदा को समस्त शर्तो अनुसार बढ़ाई जा सकती हैं।

10. अनुबंधकर्ता व्दारा माह की समाप्ति के उपरान्त आगामी माह की 05 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय व्दारा परीक्षण उपरान्त इन देयको का भुगतान टी.डी.एस. काट कर अनुबंधकर्ता के बैंक खाते में किया जायेगा।

10.1 मॉह के निर्धारित कार्य दिवस मे वाहन चालक वाहन लेकर संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के पास नही पहुच पाता है तथा उनके व्दारा शिकायत करनें पर देयक से रु.500/— प्रति दिवस की दण्डात्मक कटौती की जावेगी।

10.2 कार्यालय मे मासिक दर पर लगाये गये वाहन के निरीक्षण/आकलन के दौरान वाहन ठीक हालत मे न पाये जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रुप मे काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिकवार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11. यदि किसी निविदाकर्ता के साथ विवाद उत्पन्न होता है तो शर्तो के अनुसार मान्य योग्य नही हो तो संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति मे निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार संचालक,गैस राहत एवं पुनर्वास के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण मे न्यायालयीन परिस्थितियॉ उद्भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय मे ही चल सकेगा।

13. देयक से नियमानुसार समय—समय पर प्रचलित आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी।

14. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता फर्म/संस्था व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अनुबंध के अंग होगे।

15. अनुबंध अवधि में वाहन के किराये मे कोई परिवर्तन नही होगा और कोई अन्य शर्त मान्य नही होगी यदि उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आफर मे अन्य शर्त दी जाती है तो निविदा विभाग को मान्य नहीं होगी।

प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार
गवाहः—	गवाहः—
1.	1.
2.	2.

प्रपत्र–ब

//वित्तीय प्रस्ताव प्राइज बिड//

(लिफाफे बी में रखा जाए)

संचालनालय,गैस राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल

कार्यालय का नामः–कार्यालय,संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास,भोपाल हेतु मासिक (पूर्णकालिक)/दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध करानें के संबंध में।

निविदा क्रमांक........................ दिनांक..........................

निविदा प्रपत्र अनुसार वाहन संबंधी जानकारी एवं वाहन के लिये मासिक/दैनिक दरें (सभी कर सहित)

क्र.	वाहन प्रकार	4,घंटे (40 किमी.)	8,घंटे (80 किमी.)	16 घंटे (250 किमी.)	प्रतिमाह 1000 किमी.	प्रति किमी. अतिरिक्त	प्रति घंटा किमी. अतिरिक्त	रात्रिकालीन प्रभार	अन्य
1	इंडिगो								
2	स्विफ्ट डिजायर								
3	इंडिका (ए.सी.)								
4	स्कारपियो								

दिनांक......................

स्थान........................

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
नामः–.................................
पूरा पताः–...........................
....
फोन एवं मो.नं.